प्रतिलिपि

न्यायालय श्रीमान् राजस्व मण्डल महोदय ग्वालियर (म0प्र0)

निगरानी प्रकरण क्रमांक .... I/निगरानी/छतरपुर/भू.रा./2017/2390 सन् 2017

बालादीन तनय भगवानदास पटेल

निवासी ग्राम धमना तहसील राजनगर

जिला छतरपुर (म0प्र0)—————————निगरानीकर्ता/आवेदक

श्री डी. के. पासी (एड.) द्वारा आज दि.- 28/07/17 को प्रस्तुत

28.7.17

क्लर्क ऑफ कोर्ट
राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

बनाम

1. पूरन सिंह तनय भगवान सिंह ठाकुर

   निवासी ग्राम धमना तहसील राजनगर

2. कीरत यादव तनय श्री महादेव यादव

3. हक्कू तनय महादेय यादव

दौनों निवासी ग्राम टौरिया तहसील राजनगर

जिला छतरपुर (म0प्र0) ——————गैरनिगारीकर्ता/अनावेदकगण

D.K. Pasi (Ad.)
Board of Revenue Motimahal
M.P. Gwalior

निगरानी अन्तर्गत धारा 50 म0प्र0 भू–रा0 संहिता 1950 विरूद्ध प्रकरण क्रं0 26/अ–12/2015–16 न्यायालय श्रीमान् नायब तहसीलदार महोदय राजनगर प्रभारी मण्डल चन्द्रनगर जिला छतरपुर द्वारा पारित आदेश दिनांक 30.06.2016 के सीमांकन से परिवेदित होकर ।

महोदय,

आवेदक / निगरानीकर्ता निम्न लिखित निगरानी सादर प्रस्तुत करता है :–

1. यह कि ग्राम टौरिया तहसील राजनगर की भूमि खसरा नं0 285/1 रकवा 0.563 हे0 आवेदक बाला प्रसाद उर्फ बालादीन तनय भगवानदास एवं खसरा नं0 285/2 रकवा 0.080 हे0 सूरज प्रसाद तनय स्वाकी प्रसाद ब्रा0, खसरा नं0 285/3 रकवा 0.482 हे0 जगन्नाथ, करत, लक्ष्मण पुत्रगण महादेव अहीर के नाम से बतौर भूमि स्वामी स्वत्व पर दर्ज है।
2. यह कि भूमि खसरा नं0 286/1/1 रकवा 0.073 हे0 मोहम्मद सलीम तनय मौलवी हसन व भूमि खसरा नं0 286/1/2 रकवा 0.008 हे0 मोहम्मद सलीम तनय मौलवी हसन एवं भूमि

क्रमशः //2//

बालादीन

(2)

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेष–ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेष पृष्ठ

भाग–अ

एक / निगरानी / छतरपुर / भू.रा. / 2017 / 2390

बालादीन विरूद्ध पूरन सिंह

स्थान दिनांक	कार्यवाही तथा आदेष	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
23–07–18	प्रकरण में दिनांक 05.07.2018 को आवेदक बालदीन के अभिभाषक श्री डी.के. पासी व अनावेदक क्रमांक (1) पूरन सिंह के अभिभाषक श्री दीपक शर्मा के तर्क सुने गये थे । यह निगरानी नायब तहसीलदार राजनगर, जिला–छतरपुर के प्रकरण क्रमांक 26 / अ–12 / 2015–16 में पारित सीमांकन आदेष दिनांक 30.06.2016 के विरूद्ध की गई है । उक्त दिनांक की आदेष पत्रिका में लिखा गया है कि–" उक्त सीमांकन पर आपत्ति प्राप्त नहीं है ।" 2 / टोटल स्टेषन मषीन प्रभारी रामनगर के प्रतिवेदन दिनांक 28.06.2016 टीप (प्रदर्ष पी–1) में निम्नानुसार उल्लेखित है– "बालादीन पटेल सूचना उपरांत सीमांकन के समय मौका स्थल पर अनुपस्थित रहे ।" 3 / सूचना पत्र दिनांक 06.06.2016 पर कोटवार के द्वारा निम्न नोट अंकित किया है– " बालाप्रसाद तनय भगवान पटेल घर न मिलने के कारण सूचना पत्र तामील नहीं किया गया ।" 4 / उपरोक्त पैरा (2) व (3) की टीप विरोधाभासी है, जिससे स्पष्ट है कि बालाप्रसाद को सीमांकन की कोई सूचना नहीं थी । सीमांकन के सम्बन्ध में 2010	

23.7.18

आर.एन. 259 (रामसुखी शर्मा विरूद्ध हरभजन तिवारी), 1998 आर.एन. 106 (सेंघवा क्लब विरूद्ध म.प्र.शासन) व 1996 आर.एन. 357 (गीता शर्मा विरूद्ध म.प्र.राजस्व) में स्पष्ट निर्धारित किया गया है कि सीमांकन की कार्यवाही में लगी हुई भूमि के स्वामी को सूचना देना आवष्यक है। सीमांकन हितबद्ध पक्षकार की उपस्थिति में किया जाना आवष्यक है ।

5/ प्रस्तुत प्रकरण में स्पष्ट है कि निगरानीकर्ता (आवेदक) को दिनांक 09.06.2016 के सीमांकन की कोई सूचना नहीं थी एवं उक्त सीमांकन निगरानीकर्ता की अनुपस्थिति में किया गया है । अतः नायब तहसीलदार का आदेष दिनांक 30.06.16 निरस्त किया जाता है एवं दिनांक 09.06.16 को किया गया सीमांकन जो निगरानीकर्ता को सूचना दिये बिना किया गया है, मान्य नहीं किया जाता है ।

6/ अतः उपरोक्त परिप्रेक्ष्य में निगरानी स्वीकार की जाती है।

23.7.18

(आर.के. जैन)
सदस्य